।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

पत्रांक २६२५ /12–1 गोपेश्वर, दिनांक जनवरी, २८, 2016।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण।

विषयः– **जनपद चमोली के विकासखण्ड़ गैरसैंण में दिवालीखाल–किमोली मोटर मार्ग को किमोली–नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि इस कार्यालय को उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त हुआ है , उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम गेड़े, तहसील– गैरसैंण, जनपद– चमोली में प्रस्तावित किया गया हैं, जो भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत के कारण इस वन प्रभाग स्तर से इसका प्रबन्धन करना कठिन होगा।

दिनांक 14–12–2015 को मार्ग का निरीक्षण करते समय अद्योहस्ताक्षरी द्वारा देखा गया कि प्रस्तावित सड़क से समीपवर्ती पिण्ड़रवार आरक्षित वन क्षेत्र एवं किमोली वन पंचायत से लगी हुयी अवनत सिविल वन भूमि उपलब्ध है, इस पर प्रभाग स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य व अन्य प्रबन्धन करना आसान होगा।

अतः किमोली सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये 13.044 है0 भूमि प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त मोटर मार्ग के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील–गैरसैंण में भूमि के अलग–अलग जगह खसरा नम्बर प्रस्तावित किये गये है, जिससे क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्रबन्धन करने व अमलदरामद के बाद आरक्षित वन घोषित करने में कठिनाई होगी, यदि आरक्षित वन से लगे क्षेत्र किमोली सिविल में जहॉ किसी प्रकार की न तो कोई आबादी है और भूमि भी खाली है में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 13.044 है0 को प्रस्तावित कर दिया जाये तो आरक्षित वन क्षेत्र से लगे होने के कारण इसका प्रबन्धन करना आसान होगा एवं आरक्षित वन क्षेत्र एक ही जगह बढ़ेगा। अतः आप अपने स्तर से इस विषय में कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।